फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– पूजा **विपक्षी :– दुर्गेश**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 38/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2021 पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. के तहत् पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद सं. 313/12 को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 313/12 अनवान पूजा बनाम दुर्गेश दिनांक 30.03.2021 को वादी के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी से इन्कार करने से वादीगण के अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। चूंकि मूल पत्रावली के अवलोकन से मूल पत्रावली जवाब दावा में नियत थी। उसके पश्चात् वादी की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका हैं। जिसे नम्बर पर लेने के लिए वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। वादी द्वारा लगभग 5 माह के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादी द्वारा कोरोना महामारी के तहत् लॉकडाउन बताकर समय पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने का कथन किया हैं। चूंकि प्रकरण में वादीगण का हित निहित हैं। उनके अधिवक्ता द्वारा वादीगण को सूचित करने के पश्चात् ही हिदायत पैरवी से इन्कार करना था। प्रकरण में पेशी दिनांक की जानकारी रखना वादीगण का दायित्व हैं। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी की भूल समझा जा सके। फिर भी वादी का वाद में हित होने से न्यायहित में कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का 500/– अक्षरे पांच सौ रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 313/12 अनवान पूजा बनाम दुर्गेश में आदेश दिनांक 30.03.2021 को अपास्त किया जाता हैं तथा मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2021.09.15 12:20:04 IST Reason: SelfAttested सहायक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	